LOK SABHA

Saturday, September 1st 1973/Bhadra 10, 1895 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha:—

"In accordance with the provisions of Rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Industries (Development and Regulation) Amendment Bill, 1973, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 30th August, 1973."

INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL

AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I lay on the Table of the House the Industries (Development and Regulation) Amendment Bill, 1973, as passed by Rajya Sabha.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर): अध्यक्ष महोदय हम आशा करते हैं कि हाकी में जो भारत की विजय हुई है, उसका हवाला देंगे और अपनी टीम को बधाई देंगे। हम फाइनल में भी जीतेंगे।

अध्यक्ष महोदय : हम सारे उन को बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि हम फाइनल में भी जीतेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आप बधाई को मुलतवी रखिये, ताकि फाइनल की बधाई सोमवार को दे सकें। इसके लिये आप भी कोशिश कीजिये और हम भी कोशिश करेंगे।

11.02 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE

MR. SPEAKER: I want to tell Mr Limaye that I am keeping his privilege motion. There is one no-confidence motion also; I will take it up later on. I am looking into the privilege motion.

श्री मधु लिमये (बांका) : आप मुझे अर्ज करने दीजिये, निर्णय अभी नहीं चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस में जल्दबाजी से काम नहीं लिया है। बात यह है कि कल जिस विषय पर मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था—मेरे प्रश्न सं० 5121 और 5231—मैंने देखा, मैं लाइब्रेरी मे भी गया, उसके जो जवाब आते हैं, वे मुझे को नहीं मिले प्रेसवालो से भी बाते की थी, उनको भी नहीं मिले थे. फाईनेन्स मिनिस्ट्री से जो बच आया था, वह प्रेस इन्फेरमेशन ब्यूरो के द्वारा प्रसारित किया जाता है, जो उन का कर्तव्य माना गया है। मैंने शकधर साहब की किताब से भी प्रेसिडस कोट किया था और कहा था कि प्रैस कारस्पों-

डेंट्स को इन सवालों के जवाब नहीं दिये गये । इस लिये मैं पहले जानना चाहता था कि क्या इस में हमारे पार्लियामेंट सैक्रेटेरियेट की कोई गल्ती है या फाइनेन्स मिनिस्ट्री की कोई गल्ती है । पता चला कि पार्लियामेंट सैक्रेटेरियेट की इस में कोई गल्ती नहीं है और सदन की टेबल पर रखने के लिये, अभी मुझ को बतलाया गया है, फाइनेन्स मिनिस्ट्री ने भी समय पर भेजा था । अब मामला केवल प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो और इन्फार्मेशन तथा ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री का रह जाता है । हम लोगों ने प्रैस गैलरी में 30 लोगों के लिये पास दिये हैं और प्रैस इन्फर्मेशन ब्यूरो का यह दायित्व है कि जो भी कागजात सदन की मेज पर रखे जाते हैं, वे उन में वितरित करे । यदि वे उन कागजात को प्रैस कारस्पोंडेंटस को नहीं देंगे तो उन के पास और कोई जरिया नहीं है कि वे उस को प्राप्त कर सकें । जो तारांकित प्रश्न होते हैं, उन के जवाब तो सदन में दिये जाते हैं, जिस का वे लोग सुन लेते हैं, लेकिन अतारांकित प्रश्नों के जवाब टेबल पर ले लिये जाते हैं, यदि उन की कापी उन को नहीं मिलेगी तो उन का क्या नतीजा होगा ।

कल मैंने इस मामले को उठाया तो डिप्टी स्पीकर महोदय ने मुझ को आश्वासन दिया कि वे इस की जांच करेंगे । अब यह बात तो साफ हो गई है कि इस में पार्लियामेंट सैक्रेटेरियेट की कोई गल्ती नहीं है, फाइनेन्स मिनिस्ट्री ने भी समय पर भेजा था । इस लिये अब मैं इन्फर्मेशन तथा ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री, प्रैस इन्फर्मेशन ब्यूरो तथा उन के जो आफिसर, जिन का यह कर्तव्य है, उन के खिलाफ मैं विशेषाधिकार का मामला उठाना चाहता हूं । आप इस मामले की जांच कर के फिर इस के ऊपर अपना निर्णय दें ।

अध्यक्ष महोदय महोदय, कई दफा ऐसा हुआ है, लेकिन अब की भी दफा ये रेड-हैण्डेड पकड़े गये हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर): श्री मधु लिमये ठीक कह रहे हैं । इस तरह का शक बहुत पहले से था सारी चीजें जो सदन की टेबिल पर आती हैं, वे समाचार-पत्रों को नहीं दी जाती । प्रैस इन्फर्मेशन ब्यूरो इस में गड़बड़ करता है, लेकिन यह तो रंगे हाथ पकड़ने का मामला है ।

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास तो यह शिकायत पहली दफा आई है, इस के पहले तो कोई शिकायत नहीं आई ।

श्री मधु लिमये : हम लोगों को मालूम नहीं था । हम लोग भोले-भाले लोगों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन अब सचेत हो गये हैं । अब शक और सन्देह की निगाह से सरकार के हर काम को और प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो को देखा जायगा ।

अध्यक्ष महोदय भोले-भाले तो हम सभी यहां बैठे हैं ।

अध्यक्ष महोदय श्री बसु, यह आप को परसों देना था तो परसों देते । क्या बाद में कुछ पोछे देख कर फैसला कर लिया है ?

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): I know whatever is given after 10 O'Clock will not be taken up on that day.

MR SPEAKER Why did you give it after 10 O'Clock? (*Interruptions*)

श्री शंकर दयाल सिंह (चतरा) : ये भी भोले-भाले हैं ।

श्री मधु लिमये (बांका) : नहीं, अब ये भोले-भाले नहीं रहे ।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I have a submission to make ....

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : भोला-भाले ।

SHRI S. M BANERJEE· May I make a submission?

अध्यक्ष महोदय आज और कोई चीज नही आयेगी ।

श्री एस० एम० बनर्जी. अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं—कालिंग-एटेन्शन नही आ रहा है लेकिन यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है । कपड़े का बहुत बड़ा संकट है, जिस की वजह से देश के कारखाने बन्द हो रहे है । इस के सम्बन्ध मे मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट होना चाहिये ।

श्री [illegible] [illegible] बन्द हो गई है इस के बारे मे कहा गया था कि [illegible] आयेगा, लेकिन [illegible] ध्यान नही आया ।

(*Interruptions*)

MR SPEAKER Don't take the time of the House Please write to me and I will see.

SHRI S M BANERJEE· I have already written to you. I sent it before 10 O'Clock

अध्यक्ष महोदय . लेकिन आज और नोटिस नही आयेगें ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं नोटिस की बात नही कह रहा हूं ।

MR. SPEAKER: Nothing else except passing this Bill today.

SHRI S. M. BANERJEE: This is a very serious matter ...

MR. SPEAKER: I am not taking notice of anything today except passing this Bill. We have parted with this holiday not for all these purposes but only for the specific purpose of passing this Bill Why do you take the time out of the time allotted for this purpose.

SHRI S. M. BANERJEE 5th is the last day of the session. This is a serious matter. (*Interruptions*)

MR SPEAKER: I am not taking any cognizance of this. You please write to me and I will send it to the Minister. I am not going to call anybody else except Shri Vajpayee, to continue his speech.

11.15 hrs.

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE BILL—*Contd.*

MR SPEAKER· We were on Clause 144 Shri Vajpayee to continue his speech

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर)· अध्यक्ष महोदय, हम इस समय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बिल 1972 की 144 धारा पर विचार कर रहे हैं । इस धारा का इतिहास बड़ा पुराना है । ऐसा लगता है कि यह धारा सहस्र मुखी धारा है जो किसी भी समय किसी भी जगह और किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के खिलाफ काम में लायी जा सकती है । इस का दुरुपयोग लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन के लिए हुआ है । इसके द्वारा शांतिपूर्ण आन्दोलनो को कुचलने की कोशिश की गई है और इसके आवरण में देश के नागरिक जीवन को कही कहीं रुद्ध करने का भी प्रयास हुआ । मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि इस धारा की शब्दावली लिखते समय बड़ी दरियादिली से काम क्यों लिया गया ? हम कानून बना रहे हैं जिस का संबंध व्यक्तिगत स्वाधीनता से है, नागरिक अधिकारो से है । लेकिन आप अगर इस की भाषा देखें, मैं उद्धृत कर रहा हूं :